पण्डित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय सम्बल पखवाड़ा 2025

राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना जिला सीकर (राज.)

1. श्री पप्पूसिंह पुत्र लूणकरण जाति राजपूत निवासी आगरी तहसील नीमकाथाना जिला सीकर राज.।

– वादी

बनाम

1. तहसीलदार (भूमिधारी) नीमकाथाना जिला सीकर राज.।

–प्रतिवादी

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा नम्बर 547/2025

जीसीएमएस नं0 2025/11158

आदेश

दिनांक – 11/09/2025

मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार नीमकाथाना एवं संलग्न दस्तावेजात तन ग्राम आगरी तहसील नीमकाथाना के भूमि खाता संख्या 186 में वादी की बुआजी का गलत दर्ज नाम ''सदा कंवर पुत्र भंवरसिंह'' के स्थान पर सही एवं वास्तविक नाम ''सदा कंवर पुत्री भंवरसिह'' दुरूस्त किया जाने का आदेश दिया जाता हैं। रिपोर्ट तहसीलदार नीमकाथाना आदेश का भाग रहेगा। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो तथा तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

उक्त आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा से जारी किया गया।

मुद्रा

उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना (राज.)

(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना

राजवीर सिंह यादव
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.10.06 15:48:04 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी** मुकाम **नीमकाथाना (सीकर)**
बइजलास **राजवीर सिंह यादव R.A.S.**

1. श्री पप्पूसिंह पुत्र लूणकरण जाति राजपूत निवासी आगरी तहसील नीमकाथाना जिला सीकर राज.।

—वादी

बनाम

1. तहसीलदार (भूमिधारी) नीमकाथाना जिला सीकर राज.।

—प्रतिवादी

दावा बाबत घोषणा व दुरूस्ती रिकार्ड
मुकदमा नं. 5471 सन् 2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू **राजवीर सिंह यादव आर.ए.एस** व हाजिरी **वादी स्वयं** मिनजानिब मुद्दई रूबरू ..... मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि **मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार नीमकाथाना एवं संलग्न दस्तावेजात तन ग्राम आगरी तहसील नीमकाथाना के खाता संख्या 186 में वादी की बुआजी का गलत दर्ज नाम "सदा कंवर पुत्र भंवरसिंह" के स्थान पर सही एवं वास्तविक नाम "सदा कंवर पुत्री भंवरसिह" दुरूस्त किया जाने का आदेश दिया जाता हैं। रिपोर्ट तहसीलदार नीमकाथाना आदेश का भाग रहेगा। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो**

.निज.....मुबलिग.....बाबत.....खर्चा इस मुकदमें के मय सूद बशरह.....
....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....का अदा करें।
बसव्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 11 माह 09 सन् 2025 को जारी की गई।

दस्तखत.....
ओहदा.....

मुहर

उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना (सीकर)

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान			स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प अर्जी महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान		

राजवीर सिंह यादव
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.10.06 16:48:04 IST
Reason: SelfAttested

खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकैन का चाहे डिगरी के अन्दाजवार या पेशी वार तहरीर करना चाहिए।